मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016

फोनः 0755 – 2463585, 2430154, फैक्सः– 4004137

ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (टै)/2024/ 1493 **भोपाल, दिनांक 20/06/2024**

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (एमपीपीटीसीएल) ने वित्त वर्ष 2024–25 से 2028–29 के लिए पूंजी निवेश योजना के लिए याचिका दायर की है, जिसे कि **याचिका क्रमांक 08/2024** के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वे व्यक्ति जो उपरोक्त याचिका से संबंधित अपने आपत्ति / टीप / विचार प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे उन्हें आवश्यक अभिलेखों तथा साक्ष्यों के साथ संलग्न कर सीधे सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल 462016 को, तथा कंपनी के लिए एक प्रति कार्यपालक निदेशक (सीआरए), मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ब्लाक नं. 3, शक्तिभवन, जबलपुर–482008 के नाम प्रेषित कर सकते हैं, जो कि इस सूचना के प्रकाशन के **21 दिवस में** आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। आपत्तियों/टिप्पणियों/सुझावों की अग्रिम प्रति आयोग को फैक्स (0755–4004137) तथा ई–मेल **(secretary@mperc.nic.in)** द्वारा भी अग्रेषित की जा सकती हैं। इस हेतु शपथ पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा याचिका (अंग्रेजी संस्करण) की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजें से सायं 4.00 बजे के मध्य, आयोग कार्यालय से अथवा मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के जबलपुर स्थित कार्यालय से रु. 500/– की नगद राशि का भुगतान कर अथवा किसी अनुसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो एम.पी.ई.आर.सी. के नाम देय तथा भोपाल में भुगतान योग्य हो या जो क्षेत्रीय लेखाधिकारी एमपीपीटीसीएल, के नाम देय तथा जबलपुर में भुगतान योग्य हो, प्राप्त की जा सकती है। याचिका की एक प्रति रु. 50/– डाक व्यय हेतु अतिरिक्त भुगतान कर डाक से भी प्राप्त की जा सकती है। **याचिका की प्रति आयोग की वेबसाईट www.mperc.in पर निशुल्क उपलब्ध है।**

आयोग द्वारा दिनांक **23/07/2024** को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. आयोग को भेजकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार,

सचिव